(64)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल,मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

लालमणि वानी तनय वशिष्ठ वानी (मृतक) द्वारा वारिसानः-

निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/2853

1 श्रीमती महरजुआ पत्नी स्व. श्री लालमणि गुप्ता
2 ईश्वरी प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व. लालमणि गुप्ता
3 हीरालाल गुप्ता पुत्र स्व. लालमणि गुप्ता
4 श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी स्व. लल्लूप्रसाद गुप्ता
5 प्रिंशी गुप्ता
6 रिंशी गुप्ता
7 गुलाब गुप्ता
( निगरानीकर्ता 5 लगायत 7 नाबालिग द्वारा संरक्षिका माता श्रीमती सुनीता गुप्ता) समस्त निवासीगण-- ग्राम जनकपुर तहसील--बहरी, जिला-- सीधी म.प्र.

श्री ... द्वारा आज दि. 24-8-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

24/8/17

........निगरानीकर्ता

बनाम

1. शिवकुमार उर्फ शिवप्रसाद वानी पुत्र सवाईलाल वानी
2. विष्णु प्रसाद वानी पुत्र सवाईलाल वानी
3. नारेन्द्र प्रसाद उर्फ खाकी पुत्र सवाईलाल वानी
4. शेष प्रताप वानी पुत्र सवाईलाल वानी
5. सतीशचन्द्र वानी पुत्र सवाई लाल वानी

निवासीगण-- ग्राम जनकपुर तहसील--बहरी, जिला-- सीधी म.प्र.

6. सरस्वती गुप्ता पुत्री लालमणि गुप्ता
7. गोपी गुप्ता पुत्री लालमणि गुप्ता
8. मालती गुप्ता पुत्री लालमणि गुप्ता
9. जगदम्बा गुप्ता पुत्री लालमणि गुप्ता
10. सुभद्रा गुप्ता पुत्री लालमणि गुप्ता
सभी 6 लगायत 10 निवासीगण--ग्राम जनकपुर व कुचवाही,तहसील- बहरी,जिला--सीधी,म.प्र.

........उत्तरदातागण

(3)

ईश्वरी प्रसाद गुप्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 18.08.2017 जोकि अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिहावल,जिला–सीधी म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 284/अपील/16–17 वउनवान ला.ामणि वानी बनाम शिवकुमार वानी मे स्थगन आवेदन निरस्त किये जाने के विरूद्ध ।

---

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी नि.ानुसार प्रस्तुत है–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि निगरानीकर्तागण द्वारा एक आवेदन प.त्र अन्तर्गत धारा 32 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 का न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय तहसील बहरी जिला सीधी म.प्र. के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि निगरानीकर्तागण ग्राम जनकपुर तहसील ब.री,जिला सीधी म.प्र. के निवारीगण होकर उनकी पुश्तैनी कृषि भूमियां ग्राम जन.पुर एवं पड़रिया मे स्थित है।
2. यहकि ग्राम जनकपुर की आराजी खसरा .मांक 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 207, 279, 261, 262, 2.3 264, 273 निगरानीकर्तागण एवं अनावेदकगण के साथ श्रीमती बेलसुआ प.नी स्व. अग्रनाथ, केशव प्रसाद ,रामसजीवान पुत्र अग्रनाथ,श्रीमती सोनिया पत्नी स्व. चन्द्रप्रताप, पुष्पेन्द्र पुत्र चन्द्रप्रताप, लखुआ पत्नी सवाईलाल, उ.ाकान्त,विनोदकुमार पुत्र राजमणि, नारायणदास पुत्र कुंजबिहारी, गिरधिर पुत्र ..दा के सहस्वामित्व मे अभिलिखित भूमियां है जिनका वर्तमान मे अभी तक कोई .धानिक बंटवारा राजस्व न्यायालय से नही हुआ है सभी पक्षकारान एवं संबंधित .िस्सेदारान पूर्व के कापा पटिया के अनुसार उक्त भूमियों पर काश्त करते चले .। रहे है।
3. यहकि चूंकि आराजी कमांक 255 मे अ... कका रिहायशी मकान स्थित है ... 254 ...

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक III/निगरानी/सीधी/भू0रा0/2017/2853

श्रीमती महरजुआ आदि विरूद्ध शिवकुमार आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05—3—2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील बहरी जिला सीधी के प्रकरण कमांक 284/अपील/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 18—8—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 02—5—2019 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br><br>(आर0के0 जैन)<br>सदस्य 5/3/19 | |